संख्या-16/2016-775/चौदह-4-2016-500(18)/2012टी.सी.।।

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 **लखनऊ, दिनांक: 22 मार्च, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में अनुदान संख्या-60- वन विभाग- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित आयोजनागत योजना- "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फलेक्सी फंड हेतु अनुमोदित /अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु मात्राकृत धनराशि को फ्लेक्सी फण्ड के रूप में निरूपित कर उपयोग किये जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 23.02.2016 में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- "इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेटस" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-13-24/2015-डब्ललू0एल0-1, दिनांक 22-07-2015 तथा पत्र संख्या-13-20/2011-डब्ललू0एल0-1/08, दिनांक 21-08-2015 द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 23.268 लाख तथा रू0 3.50 लाख अर्थात कुल रू0 26.768 लाख की परियोजनाएं निम्नलिखित कार्यमदों पर उपयोग किये जाने हेतु अनुमोदित की गई हैं :-

(रू0 लाख में)

क0 सं0	कार्यमद	मात्रा	धनराशि	प्रभाग का नाम जिसे बजट आवंटित किया जाना है
1	2	3	4	5
	क–चन्द्रप्रभा व0जी0वि0			
1–	राजदरी, देवदरी वन चेतना केन्द्र परिसर में स्थित बने पुराने वन विश्राम गृह में अन्दर एवं बाहर रोशनी और पंखा की व्यवस्था हेतु सोलर पावर प्वाइण्ट की स्थापना	1 नं0 (1 कि0 वाट)	1.6994	प्र0व0अ0, काशी
2–	चन्द्रप्रभा गेट से राजदरी, देवदरी वन चेतना केन्द्र परिसर में स्थित पुराने वन विश्राम गृह तक जाने वाले मार्ग के किनारे जगह–जगह एवं लान में जगह–जगह सोलर स्ट्रीट लाइट संयन्त्र एल0ई0डी0 बेस की स्थापना	5 नं0 (74 वाट)	1.1675	
3–	अन्य विविध कार्य	ल0स0	0.1731	
	योग–चन्द्रप्रभा व0जी0वि0		**3.0400**	
	ख–कैमूर व0जी0वि0			
1–	हर्रा वन विश्राम गृह में अन्दर एवं बाहर रोशनी और पंखा की व्यवस्था हेतु सोलर पावर प्वांइट की स्थापना	1 (2 कि0 वाट)	3.0150	प्र0व0अ0, कैमूर
2–	हर्रा रेस्ट हाउस के लान में जगह–जगह सोलर स्ट्रीट लाईट	6 (74 वाट)	1.4010	
3–	अन्य विविध कार्य	ल0स0	0.2220	
	योग–कैमूर व0जी0वि0		**4.6380**	
	ग–हस्तिनापुर व0जी0वि0			
1–	जानवरों को पकड़ने हेतु पिंजरे क्रय करना	2	1.2000	वन संरक्षक, मेरठ
2–	मेगा फोन का क्रय	13	0.5200	
3–	सुरक्षा के लिए हेलमेट का क्रय	12	0.1320	
4–	पेडिड वेस्ट का क्रय	20	0.3400	
5–	बॉस के बेंत का क्रय	28	0.0560	
6–	कुकरैल में विभिन्न प्रकार के हैबीटेट सुधार कार्य	ल0स0	0.2120	
	योग–हस्तिनापुर व0जी0वि0		**2.4600**	

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	घ–पार्वती अरगा व0जी0वि0			
4–	कान्स्ट्रक्शन आफ आर्टिफिसियल आइसलैण्ड इन वाटर बॉडी फार दि बर्डस फार रूस्टिंग एण्ड नेस्टिंग परपज।	2 नं0	1.5000	प्र0व0अ0,सोहेलवा
	डेवलपमेन्ट आफ पार्किंग एरिया एण्ड विजिटर्स एमिनिटीज लाइक टायलेट, बेंचेज, वाल्कवेज, लाइटिंग आदि	ल0स0	3.2200	
	कान्स्ट्रक्शन आफ टीनसेड आफ पार्किंग एरिया	ल0स0	1.1500	
	योग–पार्वती अरगा व0जी0वि0		**5.8700**	
	ड़–साण्डी प0वि0			
5–	स्थल को समतल करने हेतु मिट्टी भरान के लिए मिट्टी खुदान व 1 कि0मी0 कच्ची सड़क पर ढुलान	30.28 घ0मी0	0.0550	वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, लखनऊ
	ड्वार्फ वाल के निर्माण हेतु नींव खुदान कार्य	3.179 घ0मी0	0.0030	
	ड्वार्फ वाल के निर्माण हेतु नींव में 1:6:12 सीमेंट, बालू व ईट गिट्टी डालकर कुटाई कार्य	1.383 घ0मी0	0.0460	
	ड्वार्फ वाल की प्रथम श्रेणी ईट द्वारा 1:6 सीमेंट व बालू द्वारा चिनाई का कार्य	3.047 घ0मी0	0.1490	
	ड्वार्फ वाल में 1:4 सीमेंट, बालू द्वारा प्लास्टर करवाई का कार्य	13.627 घ0मी0	0.0170	
	इण्टर लाकिंग टाइल्स लगाने हेतु आधार बेस तैयार करना 1:6:12 सीमेंट, बालू व ईट गिट्टी द्वारा	35.60 घ0मी0	1.1820	
	इण्टर लाकिंग टाइल्स लगाने के लिउ आधार समतलीकरण हेतु बालू का क्रय	10.68 घ0मी0	0.0430	
	कुल 356 वर्ग मी0 क्षेत्र में से 255वर्ग मी0 में बिछाने हेतु 80 एम0एम0 मोटाई व स्टैण्डर्ड साइज की इण्टरलाकिंग टाइल्स का क्रय (3 % क्षति एवं वैट सहित)	13200 अद्द	2.8710	
	इण्टरलाकिंग टाइल्स को बिछाने का कार्य	356 व0मी0	0.2140	
	इण्टरलाकिंग टाइल्स को बिछाने के बाद ऊपर से डालने हेतु बालू का क्रय	3.56 घ0मी0	0.0140	
	अन्य आकस्मिक व्यय	ल0स0	0.0070	
	घटाया 10 %ठेकेदार का लाभांश मजदूरी पर	ल0स0	0.0710	
	योग–साण्डी प0वि0		**4.5300**	
	च–राष्ट्रीय चम्बल व0जी0वि0			
6–	राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी बाह (आगरा) में नवनिर्मित इण्टरप्रेटेशन सेंटर में सोलर लाइट की स्थापना	05	1.5000	उ0व0सं0, रा0चम्बल
	राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी बाह तथा इटावा के आवासीय परिसर में सोलर लाइट की स्थापना	11	3.3000	
	राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी बाह तथा इटावा के टूरिंग हट में सोलर लाइट की स्थापना	04	1.2000	
	अन्य आकस्मिक व्यय	ल0स0	0.0900	
	योग–राष्ट्रीय चम्बल व0जी0वि0		**6.0900**	
	छ–डा0भीम राव अम्बेडकर प0वि0			
7–	बड़ी दूरबीन का क्रय (12.5 प्रतिशत कर, स्टैंड, क्लीनर, कवर)	2	0.1200	प्र0निदे0, प्रतापगढ़
	अत्यन्त छोटी दूरबीन का क्रय (12.5 प्रतिशत कर, स्टैंड, क्लीनर, कवर)	1	0.0200	
	योग–डा0 भीमराव अम्बेडकर प0वि0		**0.1400**	
	महायोग–		**26.768**	

2- अत: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी- 1117/36-टी-77 दिनांक 08.03.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स" योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यों को कराये जाने हेतु रू0 26.76 लाख (रू0 छब्बीस लाख छिहत्तर

3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

हजार मात्र) की स्वीकृति निम्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (हजार में 0रू)**
अनुदान संख्या 60-	
पूँजीलेखा -	
-4406वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
-02पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव -	
-110वन्य जीव-	
-01केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -	
-0106इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स -	
-25लघु निर्माण कार्य	**2676**
योग	**2676**

(रू0 छब्बीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर एवं परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

9- कृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं-0 पी 77-टी-36/1117 -दिनांक 08.03.2016में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक,30 मार्च, 2015 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-775(1)/चौदह-4-2016-500(18)/2012टी.सी.।। तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in